UPEW010041482025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी(पी0 ए 0)एक्ट, इटावा।

उपस्थितः संजय कुमार-IV,.........उच्चतर न्यायिक सेवा।

JO code UP 6462

विशेष सत्र वाद सं0-1097/2025

कुसुमलता बनाम श्याम सिंह आदि।

25.06.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। पूर्व तिथि पर पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण को तलबी के बिन्दु पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विस्तारपूर्वक परिशीलन किया गया।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.06.2019 को परिवादिनी एवं विपक्षी संख्या-1 श्याम सिंह के मध्य दिनांक 01.06.2019 में मकान के सम्बन्ध में इकरारनामा हुआ था। जिसके परिप्रेक्ष्य प्रार्थिनी ने उक्त श्याम सिंह को कुल ₹3,90,000/- प्राप्त कराया था तथा निबन्धन कार्यालय, इटावा में स्टाम्प शुल्क ₹9,000/- जमा किया था और यह इकरारनामा प्रार्थिनी व श्याम सिंह के मध्य एक वर्ष के लिए हुआ था। एक वर्ष बीतने से पहले ही उक्त श्याम सिंह ने प्रार्थिनी से अनुरोध कर एक वर्ष का अतिरिक्त समय और मांग लिया था। जिसकी लिखा पढी पुनः निबन्धन कार्यालय, इटावा मे हुयी थी। द्वितीय बार प्रार्थिनी द्वारा समय दिये जाने के बाद भी उक्त विपक्षी श्याम सिंह ने प्रार्थिनी के हक में बैनामा नहीं किया और प्रार्थिनी ने लीगल नोटिस भेजकर अवगत कराया परन्तु विपक्षी टस से मस नहीं हुये और प्रार्थिनी के हक में बैमाना करने को तैयार नही हुये तो प्रार्थिनी ने न्यायालय अपर सिविल जज (जू0 डि0) कोर्ट नं0-4 में वाद सं0-744/2021 प्रस्तुत किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थिनी द्वारा न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत होने के बाद से उक्त विपक्षी श्याम सिंह प्रार्थिनी से रंजिश मानता है, इसी के चलते दिनांक 01.07.2025 को समय करीब सुबह 08:00 बजे प्रार्थिनी अपने मायके चकरनगर से अपने ससुराल इटावा आ रही थी. तभी इकदिल चौराहे पर हाईवे के किनारे अपने पति कैलाश नाथ से घर की चाबी लेने के लिए ऑटो से उतरी थी तथा अपने पति के आने का इन्तजार हाईवे के किनारे इकदिल में कर रही थी. तभी विपक्षी श्याम सिंह, राजवीर सिंह व दो अज्ञात व्यक्ति, जिन्हें प्रार्थिनी सामने आने पर पहचान लेगी। चारों लोग मोटर साइकिलों से आये और प्रार्थिनी से सिविल कोर्ट, इटावा मे चल रहे वाद को वापस लेने का दवाव बनाने लगे। प्रार्थिनी ने कहा कि उसके हक में बैनामा कर दो तो वह मुकदमा वापस ले लेगी। इतना सुनकर उक्त विपक्षीगण आक्रामक हो गये और प्रार्थिनी को जाति सूचक गाली धुबिये कहते हुये बोले कि तेरे हक में बैनामा नहीं करेंगे और न ही इकरारनामा पर दर्ज मकान पर कब्जा करने देगे और यह भी कहा कि तुम हरिजनों की औकात नही है कि मेरे मकान को ले पाओ, उस पर मैंने कब्जा कर लिया है। प्रार्थिनी ने गाली देने से मना किया तो राजवीर ने

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.06.25 15:32:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थिनी के गाल पर थप्पड मार दिया और श्याम सिंह ने प्रार्थिनी को धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और सभी एक राय होकर प्रार्थिनी के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान प्रार्थिनी के गले मे पडी सोने की जंजीर को उक्त विपक्षीगणों ने जबरदस्ती तोडकर छीन लिया और प्रार्थिनी को जान से मारने की नियत से श्याम सिंह ने गला दबाया, भाग्यवश प्रार्थिनी बाल बाल बच गयी। प्रार्थिनी की चीख पुकार सुन उसका पति कैलाशनाथ व श्रवण कुमार वअन्य राहगीर आ गये जिन्हें आता देख उक्त विपक्षीगण जातिसूचक गाली–गलौज कर जान से मारने की धमकी एवं फर्जी मुकदमें में परिजनों को फंसाने की धमकी देते हुए भाग गये। प्रार्थिनी घटना के तुरन्त बाद थाने गयी परन्तु कोई सुनवायी नहीं हुयी न ही उसके शरीर पर आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना पुलिस ने कराया। उसने स्वयं जिला अस्पताल, इटावा में उपस्थित होकर घटना में आयी चोटों का डाक्टरी मुआयना कराया तथा स्वयं उपस्थित होकर एवं दिनांक 01.07.2025 को जरिये रजिस्ट्री वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को शिकायती प्रार्थनापत्र दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थिनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं की चिकित्सीय परीक्षण आख्या, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद छाया प्रति, छाया प्रति आधार कार्ड तथा छाया प्रति जाति प्रमाण पत्र को दाखिल किया गया है।

न्यायालय के आदेश दिनांक 21.07.2025 द्वारा प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4)बी.एन.एस.एस. को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया।

परिवादिनी द्वारा धारा 223 बी.एन.एस.एस.के अन्तर्गत स्वयं को परीक्षित कराया है तथा धारा 225 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत सी.डब्लू.1 के रूप में कैलाश नाथ को परीक्षित कराया गया है।

विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण द्वारा उपस्थित आकर अपनी आपत्ति कागज संख्या 13ख/1 लगायत 13ख/4 दाखिल की गयी है। विपक्षीगण द्वारा आपत्ति में संक्षेप में कथन किया गया है कि प्रस्तुत परिवाद असत्य कथनों पर आधारित है तथा कतई असत्य, काल्पनिक व मनगढ़ंत है। स्वीकार्य रूप से विपक्षी सं0 1 श्याम सिंह व परिवादिनी कुसुमलता के मध्य एक दीवानी वाद संख्या 744/2021 कुसुमलता बनाम श्याम सिंह विचाराधीन है। यह वाद पैसे के लेन देन में हुए धोखा से सम्बन्धित वाद है जिसमें विपक्षी सं0 1 श्याम सिंह से धोखे से एक एग्रीमेन्ट करवा लिया गया है जबकि मामला विशुद्ध रूप से पैसे के लेन देन का है। विशुद्ध रूप से इस दीवानी प्रकृति के वाद में परिवादिनी कुसुमलता अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का सहारा लेकर विपक्षीगण पर दबाव बनाना चाहती है और एक झूठी घटना के आधार पर उसे भयभीत करना चाहती है। विपक्षी सं0 1 श्याम सिंह ने भी इस दीवानी वाद में अपना उत्तरपत्र प्रस्तुत कर दिया है और वह इस दीवानी के मुकदमे में गम्भीरता से भाग ले रहा है। इस कारण से नाराज होकर कुसुमलता ने यह झूठी व मनगढ़न्त कार्यवाही उसके विरुद्ध प्रचलित की है। परिवादिनी ने अपने 223 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 के ब्यान में भी पैसे के लेन देन को लेकर झगड़े की बात कही है जिस मकान की बावत एग्रीमेन्ट

की बात कही गयी है वह मकान कहां स्थित है परिवादिनी को इसकी भी कोई जानकारी नहीं है तभी वह प्रश्नगत मकान को हाईवे के पास इटावा में स्थित होना बता रही है जबकि प्रश्नगत मकान मोहल्ला कछियात कस्बा इकदिल में स्थित है। परिवादिनी ने प्रश्नगत मकान को देखा तक नहीं है तभी वह अपने ब्यान में मकान की सही स्थिति नहीं बता पायी है। यह भी कहा है कि कथित चोटें भी जाली व फर्जी हैं जो बनवायी गयी हैं तथाकथित घटना झूठी व मनगढ़ंत है। विपक्षी संख्या-1 श्याम सिंह गृहस्थ संत है और खेती किसानी व मजदूरी का कार्य करते हैं। दिनांक 01.07.2025 को भी वे अपने खेतों पर मूंग काटने का कार्य सुबह से ही कर रहे थे। समूची घटना काल्पनिक व मनगढ़ंत है जो दीवानी के मुकदमें में दबाब बनाने की नीयत से लिखायी गयी है। परिवाद को झूठा मनगढ़ंत व काल्पनिक होने के आधार पर निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची दिनांकित 11.12.2025 से एक किता सत्य प्रतिलिपि मूलवाद सं0 744/2021 कुसुमलता बनाम श्याम सिंह, एक किता उत्तरपत्र मूलवाद सं0 744/2021 कुसुमलता बनाम श्याम सिंह, एक किता छायाप्रति चयन सूची दिनांकित 18.03.2025 पद ए0आर0पी0 (अकादमिक रिसोर्स पर्सन),एक किता छायाप्रति परिचय पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिनजानिब शोभा शाक्य सहायक अध्यापक प्रा0 वि0 सैदपुर विकास खण्ड महेवा, एक किता छायाप्रति सूचना सहयोगात्मक पर्यवेक्षण सूचना स्क्रीन शॉट ग्रुप ए0आर0पी0 ओनली दिनांकित 01.07.2025 समय 6.39 बजे सुबह, एक किता छायाप्रति हाजिरी प्रा0 वि0 सैदपुर माह जुलाई मिनजानिब शोभा शाक्य, एक किता छायाप्रति सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रा0 वि0 महानेपुर व कीरतपुर दिनांकित 01.07.2025, एक किता सत्य प्रतिलिपि उद्धरण खसरा 1428 फ0 मौजा इंधौआ परगना व जिला इटावा बावत गाटा सं0 723 मिनजानिब श्रीमती बेवा वारिस तथा एक किता सत्य प्रतिलिपि उद्धरण खतौनी 1425-1430 फ0 मौजा इंधौआ तहसील व जिला इटावा बावत खाता सं0 421 आच्छादित गाटा सं0 723 मिनजानिब श्रीमती बेंवा वारिस एवं सूची 18ख/1 से एक किता उपस्थिति पत्रक सर्व शिक्षा अभियान मिनजानिब राजवीर ए0आर0पी0 ब्लाक महेवा निरीक्षण प्राइमरी पाठशाला महानेपुर समय प्रारम्भ 8.09 बजे समाप्ति 10.16 बजे दिनांक 01.07.2025 तथा एक किता उपस्थिति पत्रक सर्व शिक्षा अभियान मिनजानिब राजवीर ए.आर.पी. ब्लाक महेवा निरीक्षण प्राइमरी पाठशाला कीरतपुर समय प्रारम्भ 10.23 बजे समाप्ति 12.39 बजे दिनांक 01.07.2025 दाखिल किया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी एवं विपक्षी संख्या-1 के मध्य दिनांक 01.06.2019 में मकान के सम्बन्ध में इकरारनामा हुआ था। परन्तु विपक्षी संख्या-1 ने परिवादिनी के पक्ष में बैनामा नहीं किया जिस पर परिवादिनी द्वारा अपर सिविल जज (जू.डि.) कोर्ट संख्या-4 के समक्ष वाद संख्या 744/2021 संस्थित किया जो न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त वाद के चलते दिनांक 01.07.2025 को समय करीब आठ बजे जब परिवादिनी चकरनगर से इटावा से आ रही थी तब इकदिल चौराहे पर हाईवे के किनारे अपने

पति कैलाशनाथ से घर की चाबी लेने के लिए आटो से उतरी तभी विपक्षीगण दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ मोटर साइकिल पर आये और उपरोक्त मुकदमा वापस लेने का दबाब बनाने के लगे। जब परिवादिनी ने बैनामा करने के लिए कहा तब विपक्षीगण आक्रामक हो गये और गाली–गलौज कर मारपीट करने लगे। उसी दौरान परिवादिनी के गले में पड़ी सोने की जंजीर को विपक्षीगण द्वारा तोड़कर छीन लेना परिवाद पत्र में अंकित कराया गया है। परिवाद पत्र के अनुसार परिवादिनी की चीख पुकार सुनकर उसके पति कैलाशनाथ श्रवण कुमार व अन्य राहगीर मौके पर आ गये थे।

परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 01.07.2025 में चकरनगर से टैम्पो से इटावा आना अंकित कराया है तथा यह भी अंकित कराया है कि वह समय सुबह करीब आठ बजे टैम्पू से इकदिल में पुल के पास उतर गयी थी। उसने अपने पति को फोन कर घर की चाबी देने हेतु कहा था। बात होने के करीब आधा घंटा बाद उसके पति चाबी लेकर पहुँचे थे इस बीच विपक्षीगण द्वारा उसके साथ मारपीट की गयी।

उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि परिवाद पत्र में परिवादिनी की चीख–पुकार सुन उसके पति का मौके पर आना अंकित किया है जब कि अपने बयान में परिवादिनी द्वारा यह कथन किया है कि उसने अपने पति को फोन कर घर की चाबी के लिए मौके पर बुलाया था। इसके अतिरिक्त यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण होगा कि परिवादपत्र में विपक्षीगण द्वारा परिवादिनी की सोने की जंजीर तोड़कर छीन लेना अंकित किया है जबकि अपने बयान में यह कथन किया है मारपीट में उसकी सोने की जंजीर कहीं गिर गयी थी।

परिवाद पत्र के समर्थन में परिवादिनी द्वारा अपने पति कैलाशनाथ को सी.डब्लू.1 के रूप में परीक्षित कराया गया है। सी.डब्लू.1कैलाशनाथ ने अपने बयान में यह कथन किया है कि वह कार्यालय पशु चिकित्सालय, इकदिल में कार्यरत है तथा उसकी डयूटी सुबह 8.00 ए.एम. से लेकर 2.50 मिनट तक होती है। दिनांक 01.07.2025 में वह अपने कार्यालय समय करीब 7.45 बजे पहुँच गया था। सुबह 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे अपने कार्यालय में उपस्थित था इस बीच वह कहीं नहीं गया। अपने बयान के दूसरे अंश में इस साक्षी द्वारा यह अंकित कराया है कि सुबह करीब 8.25 मिनट से 8.30 के मध्य वह अपनी पत्नी से मिला था। वह अपने कार्यालय से चाबी देने हाईवे पर आया था। जब वह हाईवे पर चाबी देने पहुँचा तब उसने श्याम सिंह व राजवीर को भागते हुए करीब 50 फीट की दूरी से देखा था। विपक्षीगण के साथ दो व्यक्ति और थे जिन्हें वह नहीं जानता। उसकी पत्नी ने बताया था कि श्याम सिंह व राजवीर व दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की थी। उसकी पत्नी ने यह भी बताया था कि उसकी सोने की जंजीर कहीं गिर गयी है या विपक्षी ले गये हैं उसे नहीं पता।

यदि इस साक्षी के बयान की समीक्षा की जाये तो इस साक्षी के बयान पर निर्भर किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि एक स्थान पर इस साक्षी ने दिनांक 01.07.2025 में अपने कार्यालय में सुबह 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक उपस्थित

होना तथा इस बीच कहीं न जाना कहा है जब कि बयान के दूसरे अंश में उक्त दिनांक पर 8.25 से 8.30 के मध्य अपनी पत्नी से मिलना बताया है। जब न्यायालय द्वारा इस साक्षी से बयान में आयी इस विसंगति के बारे में स्पष्ट करने को कहा गया तो साक्षी द्वारा यह कहा गया कि 8.30 बजे पत्नी को चाबी देने हाईवे पर आने वाली बात सही है। इसका तात्पर्य यही निकलता है कि इस साक्षी द्वारा न्यायालय के समक्ष सही तथ्य नहीं रखे गये हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं इस साक्षी तथा परिवादिनी के अनुसार यह साक्षी कथित घटना के बाद मौके पर पहुँचा था। इससे स्पष्ट होता है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इस साक्षी द्वारा अपने बयान में यह भी कहा गया है कि उसने विपक्षीगण को 50 फीट की दूरी से भागते हुए देखा था जब कि परिवादिनी के कथनानुसार विपक्षीगण मोटर साइकिल से आये थे। यदि विपक्षीगण मोटर साइकिल से घटनास्थल पर आये थे तो उनके द्वारा मोटर साइकिल छोड़कर भागना स्वयं कथित घटना को संदेह की परिधि में लाता है। परिवादिनी द्वारा अपने परिवादपत्र तथा अपने बयान में राजवीर सिंह व श्याम सिंह व दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घटना कारित करना बताया है।

तलबी के बिन्दु पर विपक्षीगण को धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया था। विपक्षीगण की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि विपक्षी संख्या–2 राजवीर सिंह प्राइमरी पाठशाला गनेशपुरा विकासखण्ड, चकरनगर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात है और वर्तमान में ए.आर.पी. के पद पर तैनात है। जिसके अन्तर्गत उसे ब्लॉक स्तर पर एक दिन में कम से कम दो विद्यालयों का पर्यवेक्षण करना होता है और प्रत्येक विद्यालय में कम से कम सवा दो घंटे का समय देना अनिवार्य है। पत्रावली पर कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इटावा द्वारा जारी पत्रांक जन सूचना 11844/2025–26 दिनांकित 30.03.2026 उपलब्ध है जिसके अनुसार विपक्षी संख्या–2 राजवीर पुत्र महाराम सिंह द्वारा दिनांक 01.07.2025 को प्राथमिक विद्यालय महानेपुर व प्राथमिक विद्यालय कीरतपुर का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया था। पत्रावली पर प्राथमिक विद्यालय महेनपुर विकास क्षेत्र महेवा, इटावा द्वारा जारी प्रपत्र उपलब्ध है जिसमें उपरोक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा यह प्रमाणित किया है कि राजवीर सिंह, ए.आर.पी. विद्यालय में प्रातः 8 बजकर 45 मिनट पर आये तथा 9 बजकर 20 मिनट पर चले गये। पत्रावली पर एक अन्य प्रपत्र प्राथमिक विद्यालय, कीरतपुर विकास क्षेत्र महेवा, इटावा द्वारा जारी उपलब्ध है जिसमें प्राथमिक विद्यालय कीरतपुर के प्रधानाध्यापक द्वारा यह प्रमाणित किया है श्री राजवीर सिंह, ए.आर.पी. दिनांक 01.07.2025 सुबह 8.05 मिनट पर आये तथा 08 बजकर 35 मिनट पर चले गये। यदि विपक्षी संख्या–2 राजवीर सिंह दिनांक 01.07.2025 में प्रातः 08.05 मिनट से 9.20 मिनट तक विद्यालयों के पर्यवेक्षण में व्यस्त थे तो उक्त दिनांक पर समय करीब 8.30 बजे परिवादिनी के साथ कथित घटनास्थल पर मारपीट करना संभव नहीं है। पत्रावली पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला महानेपुर के निरीक्षण दिनांक 01.07.2025 में समय 08:09:10:010 से 10:16:01:001 व्यस्त होना स्पष्ट होता है तथा उसके उपरांत

समय 10:23:20:020 मिनट से 12:39:44:044 मिनट तक कीरतपुर स्कूल का सुपरवीजन करना स्पष्ट होता है। इससे विपक्षी संख्या–2 की घटनास्थल पर उपस्थिति नहीं मानी जा सकती है।

उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय अपर सिविल जज (जू.डि.) न्यायालय संख्या–4, इटावा के समक्ष लम्बित वाद में अनावश्यक दबाब बनाने के उददेश्य से प्रस्तुत परिवाद संस्थित किया गया है।

आपराधिक मामले में अभियुक्त को तलब करने के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मै0 पेप्सी फूड लिमिटेड व अन्य बनाम स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट व अन्य ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 128** तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **नरेन्द्र मिश्रा व अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. व अन्य 2015(2) ए.एल.जे.79 इलाहाबाद** में यह विधि व्यवस्था दी है कि आपराधिक मामले में अभियुक्त को तलब करना एक गंभीर मामला है। आपराधिक विधि को दैनिक कार्यवाही के समान अर्थात रूटीन–वे में प्रभावी नहीं किया जा सकता है। यह पर्याप्त नहीं है कि परिवादी अपने अभिकथनों को समर्थन करने के लिए दो गवाह ले आये और आपराधिक विधि को प्रभावी (Set into Motion)कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि अभियुक्त को तलब करने से पूर्व प्रारम्भिक साक्ष्य अंकित किये जाते समय मजिस्ट्रेट मूक दर्शक (Silent Spectator)बना रहे। मजिस्ट्रेट वह साक्ष्य जो पत्रावली पर आया, का सावधानीपूर्वक जांच (Scrutinise)करे तथा अभिकथनों की सत्यता का पता लगाने के लिए परिवादी एवं उसके गवाहों से स्वयं प्रश्न करे एवं साक्ष्य के विश्लेषण के बाद यह खोजे कि प्रथम दृष्टया सभी अभियुक्तगण अथवा उनमें से किसी एक द्वारा अपराध किया गया है, अथवा नहीं।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आपराधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग अपने विपक्षी पक्षकार को तंग व परेशान करने तथा दबाब बनाने के उद्देश्य से नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि अभियुक्त को परिवाद पर विचारण के लिए तलब करते समय न्यायालय को अपराध की संभाव्यता एवं उसमें अभियुक्त की लिप्तता को बहुत ही बारीकी से देखने की आवश्यकता है। यह पर्याप्त नहीं है कि 2 या 4 गवाह प्रस्तुत कर दिये जायें और न्यायालय बिना अपराध की संभाव्यता को देखे हुए अभियुक्त को विचारण के लिए तलब कर ले, ऐसा किया जाना विधि प्रक्रिया का दुरूपयोग है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान प्रकरण में विपक्षीगण को विचारण के लिए तलब किये जाने का कोई आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 226 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताके अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 226 भारतीय नागरिक सुरक्षा

संहिता के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दि.25.06.2026

(संजय कुमार–IV)

विशेष न्यायाधीश एस.सी/एस.टी(पी0 ए 0)एक्ट,

इटावा।

JO code UP 6462